बैठक की कार्यवाही

दिनांक 05.08.2019 को प्रातः11.00 बजे नगरपरिषद्, फतेहाबाद के मुद्दों बारे उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया:–

---

1. श्री दर्शन नागपाल, प्रधान, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
2. श्री अमन ढ़ांडा, कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
3. कुमारी मोनिका हेमरजनी, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी, फतेहाबाद।
4. श्री सिकन्दर, जिला विज्ञान सूचना अधिकारी, फतेहाबाद।
5. श्री महेन्द्र सिंह, कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
6. श्री मनी राम, लेखा अधिकारी, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
7. श्री मनीष शर्मा, लेखाकार, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
8. श्री सुखविन्द्र पाल धुड़िया, कनिष्ट अभियन्ता, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
9. श्री रमेश मेहता, अधीक्षक (सेवा निवृत),नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
10. श्री विकास बजाज, भवन निरीक्षक, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
11. श्री कुमार सौरभ, सी.टी.एल. (एस.बी.एम.), फतेहाबाद।
12. श्री राजेन्द्र कुमार, लिडिंग फायर मैन, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
13. श्री सलिन्द्र कुमार, फायर मैन, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
14. श्री राकेश कुमार, श्री महेश कुमार व सुशील कुमार, सफाई निरीक्षक, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करके प्रगति रिपोर्ट भिजवाने बारे हिदायत जारी की :–

क्र.सं.	कार्यसूचि	हिदायत
1.	नगरपरिषद् की बैठक बुलाने बारे।	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम–1973 के प्रावधान अनुसार हर माह नगरपरिषद्, फतेहाबाद की बैठक बुलाई जाये। ताकि जनहित के कार्यों के लिये प्रस्ताव पारित करवाये जा सके।

2.	गृह/प्रोपर्टी कर।	बकाया संपत्तिकर की वसूली करने के भरसक प्रयत्न किये जाये तथा शहर की यूनिट बारे, बिजली विभाग, फतेहाबाद से रिपोर्ट ली जाये। ताकि पता चल सके कि शहर की कुल यूनिट में से कितनी व्यावसायिक तथा कितनी रिहायशी है। उसी अनुसार संपत्तिकर की वसूली की जाये, संपत्तिकर वसूल करने के लिये नोटिस ई–मेल या मोबाईल संदेश के माध्यम से भेजा जाये तथा वसूली की रिपोर्ट हर माह इस कार्यालय को भेजी जाये। संपत्तिकर व विकास शुल्क वसूल करने के लिये वार्ड/महौल्ले वाईज कैम्प लगाये जाये व उसमें सम्बंधित वार्ड के पार्षद को भी शामिल किया जाये। इस बारे कार्य–सारंणी बनाकर, इस कार्यालय को भेजी जाये।
3.	किरायाजात।	बकाया किरायाजात की तुरन्त वसूली की जाये तथा इस बारे विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जाये।
4.	पार्किंग का ठेका देने बारे।	पार्किंग व कम्युनिटी सैन्टर को खुली बोली द्वारा ठेके पर देने की प्रक्रिया शुरू की जाये। बैठक में लेखा अधिकारी को हिदायत दी गई कि पार्किंग व कम्युनिटी सैन्टर पूर्व में दिये गये ठेके की बकाया राशि वसूल करने बारे प्रगति रिपोर्ट भेजी जाये।
5.	स्ट्रीट वेन्ड्रों के लिए जगह का चयन करने बारे।	इस सम्बंध में भवन निरीक्षक, फतेहाबाद को नोडल अधिकारी नियुक्त करके हिदायत दी गई कि स्ट्रीट वेन्डर के लिये प्लान के मुताबिक कार्यवाही की जाये ओर प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जाये।
6.	सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने बारे।	शहर में सफाई व्यवस्था को दुरूस्त किया जाये व रात्रि को भी सफाई व्यवस्था शुरू करवाई जाये। सफाई व्यवस्था के लिये सफाई कर्मचारियों की टीम गठित की जाये व टीम में अच्छी सफाई व्यवस्था हेतु प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न की जाये तथा सबसे अच्छी सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जाये ताकि अन्य सफाई कर्मचारियों को भी अच्छी सफाई कार्य के लिये उत्साहित हो सके।
7.	अवैध कब्जे हटाने बारे।	शहरी क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जों को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाये तथा जिन दुकानदारों द्वारा दुकानों के आगे फूट पाथों पर रखे गये समान को दुकानों के अन्दर रखने बारे कहा जाये।
8.	शहर में डस्टबीन रखने बारे।	शहरी क्षेत्र में कूड़ा–कर्कट डालने के लिये (गिला व सुखा कूड़ा) डस्टबीन रखे जाये तथा आमजान को जागरूक किया जाये की वह कूड़ा–कर्कट को गिले व सुखे कूड़े के लिये बनाये अलग–2 डस्टबीन में ही डाले।
9.	मान्नीय मुख्यमन्त्री घोषणाओ बारे।	मान्नीय मुख्यमन्त्री द्वारा की गई घोषणाओं पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा इस कार्यालय को सूचित किया जाये कि घोषणाओं पर अब तक कितनी प्रगति की गई है।

10.	सी.एम. विन्डों पर लम्बित शिकायतों बारे।	सी.एम. विन्डों पर लम्बित शिकायतों का निपटान तुरन्त किया जाये।
11.	भवन प्लान स्वीकृत करने बारे।	भवन प्लान स्वीकृत करने के बाद भवन मालिक को संकलन प्रमाण पत्र अवश्य जारी किये जाये तथा परिषद् द्वारा पिछले 1 वर्ष में कितने नक्शे पास किये गये है। भवन निमार्ण कर्ताओं को कितने संकलन प्रमाण पत्र जारी किये गये है, इस बारे रिपोर्ट भेजी जाये।
12.	विकास कार्यो की समीक्षा करने बारे।	चल रहे विकास कार्यों की सूचि व प्रगति रिपोर्ट तुरन्त इस कार्यालय को भेजी जाये।
13.	प्रयोगात्मक प्रमाण पत्र भेजने बारे।	सरकार द्वारा विभिन्न मदों से प्राप्त अनुदान के प्रयोगात्मक प्रमाण पत्र निदेशालय को शीघ्र भेजे जाये। इस बाबत लेखा अधिकारी को भी हिदायत दी गई कि सरकार/निदेशालय द्वारा प्राप्त अनुदान राशि का निरक्षण करने उपरान्त रिपोर्ट भेजी जाये कि प्राप्त अनुदान में से किस–2 मद में से कितनी–2 राशि खर्च की जा चुकी है।
14.	विज्ञापन के लिए ठेका देने बारे।	इस बारे लेखा अधिकारी को हिदायत दी कि विज्ञापन के लिये टैन्डर कितनी राशि व कितने समय के लिये दिया गया था, अब तक फर्म/एजेन्सी द्वारा कितनी राशि जमा की जा चुकी है। यदि एजेन्सी द्वारा समय पर राशि जमा ना करवाई गई है, उसके क्या कारण है। परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।
15.	ऑडिट पैरा बारे।	ऑडिट पैराजात का शीघ्र निपटान किया जाये तथा ऑडिट पैराजात का उत्तर महालेखाकार, हरियाणा चण्डीगढ़ व निदेशालय को भेजा जाये।
16.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसफर किये गए सैक्टरों की सड़को का रख–रखाव करने बारे।	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसफर किये गए सैक्टरों की सड़को का रख–रखाव ठीक प्रकार से किया जाये। जो सड़क मुरम्मत योग्य है, उनकी मुरम्मत तुरन्त करवाई जाये। ताकि आमजन को कठिनाईयों का सामना ना करना पड़े।
17.	बिजली के ट्रांसफार्मर/पोल शिफ्ट करने बारे।	बिजली के ट्रांसफार्मर/पोल शिफ्ट करने के लिये सम्बंधित विभाग से सम्पर्क स्थापित करके तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाये।
18.	चिल्ली झील का सौन्दर्यकरण करने बारे।	चिल्ली झील का सौन्दर्यकरण करने बारे पूर्व में की गई बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट में दी गई हिदायतानुसार सम्बंधित विभाग से सम्पर्क स्थापित करके आवश्यक कार्यवाही की जाये।
19.	ग्रीन बैल्ट का रख–रखाव व पौधारोपण करने बारे।	ग्रीन बैल्ट का ठीक प्रकार से रख–रखाव किया जाये। ग्रीन बैल्ट व शहर के अन्य क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य किया जाये तथा आमजन को भी अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिये प्रेरित किया जाये।

20.	सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने बारे।	सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण तथा वर्दी इत्यादि देने बारे, तुरन्त आवश्यक कदम उठाये जाये।
21.	कोर्ट केस बारे।	कोर्ट केसों का निपटान तुरन्त किया जाये तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि केस का जवाबदावा माननीय न्यायालय में समय से पूर्व दायर किया जाना है।
22.	प्लास्टिक बैग के थोक विक्रेताओं का चालान करने बारे।	मननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों व सरकार द्वारा बार–2 जारी हिदायतों की अनुपालना में प्लास्टिक बैग के थोक विक्रेताओं व प्लास्टिक बैग का प्रयोग करने वाले दुकानदारों का चालान करके जुर्माना राशि वसूल की जाये ओर इसकी सूचना हर सप्ताह उपायुक्त कार्यालय को भेजी जाये।
23.	आवारा पशुओं को पकड़कर नंदीशालाओं में भेजने बारे।	शहर में घुम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर तुरन्त नंदीशालाओं में भेजे जाये ।
24.	स्ट्रीट लाईट दुरूस्त करवाने बारे।	स्ट्रीट लाईट दुरूस्त करने के लिये तुरन्त आवश्यक कदम उठाये जाये।
25.	फायर चार्ज जमा करवाने बारे।	लेखा अधिकारी व दमकल केन्द्र अधिकारी, फतेहाबाद को हिदायत दी गई थी कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, फतेहाबाद से सम्पर्क स्थापित करके फायर चार्ज की बकाया राशि जमा करवाने बारे कार्यवाही की जाये।
26.	ऑटो मार्केट के प्लाट बारे।	ऑटो मार्केट के प्लाटों बारे विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जाये।
27.	क्लॉथ मार्केट के प्लाट बारे।	क्लॉथ मार्केट की दुकानों बारे विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई जाये।

उपायुक्त, फतेहाबाद।

दिनांकः

पृ0 क्रमांकः एल0एफ0/विविध/60/2019/2845-54 दिनांक : 22-08-2019

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. प्रधान, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
2. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
3. मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी, फतेहाबाद।
4. जिला विज्ञान सूचना अधिकारी, फतेहाबाद।
5. कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
6. लेखा अधिकारी, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
7. अधीक्षक (सेवा निवृत), नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
8. भवन निरीक्षक, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
9. सी.टी.एल. (एस.बी.एम.), फतेहाबाद।
10. दमकल केन्द्र अधिकारी, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।

उपायुक्त, फतेहाबाद।